न्यायालय सहायक कलक्टर, झुन्झुनू
(पीठासीन अधिकारी :– श्री हवाई सिंह यादव, आर.ए.एस.)

मुकदमा नं. नया 377/2024

निर्णय दिनांक :– 7/5/2025

उनवान
सुरेश बनाम उर्मिला वगैरह

सुरेश पुत्र फुलाराम जाति मेघवाल निवासी जैतपुरा तहसील गुढ़ा गौड़जी जिला झुन्झुनू।

––वादी

बनाम

1. उर्मिला पुत्री गंगाधर।
2. कमला पुत्री नागरमल।
3. कैलाश कुमार पुत्र नागरमल।
4. गीता पुत्री फुलाराम।
5. दिनेश पुत्र गंगाधर।
6. प्रकाश पुत्र फुलाराम।
7. बरजी पुत्री नागरमल।
8. बलजीत पुत्र गंगाधर।
9. भागोती पत्नी नागरमल।
10. महेन्द्र पुत्र फुलाराम।
11. रामप्यारी पत्नी गंगाधर।
12. रोहिताश पुत्र फुलाराम।
13. शारदा पुत्री फुलाराम।
14. सज्जना पुत्री फुलाराम।
15. संतोष पुत्री फुलाराम।
16. सुनिल पुत्र गंगाधर।
17. सुप्यार पुत्री फुलाराम।
18. सुभाष पुत्र फुलाराम।

समस्त जातिगण मेघवाल निवासीगण जैतपुरा तहसील गुढ़ा गौड़जी जिला झुन्झुनू।

19. सुमन पुत्री फुलराम।
20. हरिसिंह पुत्र गंगाधर।
21. हीरालाल पुत्र बिरदाराम उर्फ बिडदुराम।

समस्त निवासीगण जैतपुरा तहसील गुढागौड़जी जिला झुन्झुनू।

22. शाखा प्रबंधक कैनरा बैंक शाखा उदयपुरवाटी।
23. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार गुढा गौड़जी जिला झुन्झुनू।

––प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। वाद वादी के संक्षेप में ग्राम जैतपुरा पटवार हल्का पोसाना भू0अ0नि0 रघुनाथुरा तहसील गुढा गौड़जी की सरहद में हाल भूमि खाता संख्या 259 पुराना 237 के खसरा नम्बर 58 रकबा 3.00 है0, खसरा नम्बर 63 रकबा 0.21 है0, ख.नं. 70/5 रकबा 0.05 है0, ख.नं. 89 रकबा 0.82 है0, ख.नं. 90 रकबा 0.82 है0, कुल किता खसरा 5 कुल रकबा 4.90 है0 भूमि अवस्थित है तथा भूमि खाता संख्या नया 133 पुराना 124 के ख.नं. 50 रकबा 0.67 है0, ख.नं. 70/3 रकबा 0.03 है0 व ख.नं. 86 रकबा 0.65 है0 कुल खसरा 3 कुल रकबा 1.34 है0 भूमि जैतपुरा पटवार हल्का पोसाना तहसील गुढा गौडजी में अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि में वादी का हिस्सा 1/40 राजस्व रिकॅार्ड दर्ज है। उकत वर्णित भमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 21 की शामलाती सहखातेदारी की भूमि है। उक्त वर्णित भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 21 बिना किसी विवाद के मौके पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है तथा मौके पर खातेदारान ने उक्त भूमि का जमाबन्दी में दर्ज अनुसार विभाजन कर प्रत्येक खातेदार अलग–अलग अपने

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

हिस्से पर काबिज हैं। वादी ने दिंनाक 05.07.2024 को प्रतिवादीगण से विधिवत विभाजन करने का निवेदन किया, तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया। इसलिए यह दावा न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ। उक्त विवादित आराजी में वर्णित खसरा नम्बर में वादी अपने हिस्से काबिज है। वादी वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम जैतपुरा पटवार हल्का पोसाना भू0अ0नि0 रघुनाथुरा तहसील गुढा गौड़जी की सरहद में हाल भूमि खाता संख्या 259 पुराना 237 के खसरा नम्बर 58 रकबा 3.00 है0, खसरा नम्बर 63 रकबा 0.21 है0, ख.नं. 70/5 रकबा 0.05 है0, ख.नं. 89 रकबा 0.82 है0, ख.नं. 90 रकबा 0.82 है0, कुल किता खसरा 5 कुल रकबा 4.90 है0 भूमि अवस्थित है तथा भूमि खाता संख्या नया 133 पुराना 124 के ख.नं. 50 रकबा 0.67 है0, ख.नं. 70/3 रकबा 0.03 है0 व ख.नं. 86 रकबा 0.65 है0 कुल खसरा 3 कुल रकबा 1.34 है0 भूमि को विधिवत विभाजन करवाने का अधिकारी है। उक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत विभाजन करवाकर खाता अलग–अलग कायम कर लगान अलग–अलग किये जाने के वादी व प्रतिवादीगण विभाजन करवाने के अधिकारी हैं।

उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय सहायक कलक्टर, झुन्झुनू जिला झुन्झुनू द्वारा दिनांक 27.02.2025 को वाद वादी प्राथमिक तौर पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुढ़ा गौडजी से विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2025/932 दिनांक 03.04.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत किये। विभाजन प्रस्ताव शामिल पत्रावली किये गये। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रम सिंह ने दिनांक 10.07.2024 को वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1, 5, 8, 10 से 12, 16 से 18, 20 व 21 की ओर से एडवोकेट विजेन्द्र सिंह ने वकालतनामा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण की तामील हेतु रजिस्ट्री मय डिलीवरी रिपोर्ट व डिलीवरी कर्न्फम होने से इनकी तामील मान्य की गई। प्रति. सं. 4, 6, 7, 9, 13 लगायत 15, 19, 22, 23 बावजुद तामील अनुपस्थित। प्रतिवादीगण की तामिली विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्दि दिये जाने में उन्हें कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4, 6, 7, 9, 13 लगायत 15, 19, 22, 23 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस विभाजन प्रस्ताव सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा बहस वकील वादी पर बगौर मनन किया गया। बाद अवलोकन बाद वादीगण अंतिम तौर पर स्वीकार किया जाना न्यायालय मत पर उचित प्रतीत होता है।

–: निर्णय :–

वाद वादीगण सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री किया जाता है कि ग्राम जैतपुरा पटवार हल्का पोसाना भू0अ0नि0 रघुनाथुरा तहसील गुढा गौड़जी की सरहद में हाल भूमि खाता संख्या 259 पुराना 237 के खसरा नम्बर 58 रकबा 3.00 है0, खसरा नम्बर 63 रकबा 0.21 है0, ख.नं. 70/5 रकबा 0.05 है0, ख.नं. 89 रकबा 0.82 है0, ख.नं. 90 रकबा 0.82 है0, कुल किता खसरा 5 कुल रकबा 4.90 है0 भूमि अवस्थित है तथा भूमि खाता संख्या नया 133 पुराना 124 के ख.नं. 50 रकबा 0.67 है0, ख.नं. 70/3 रकबा 0.03 है0 व ख.नं. 86 रकबा 0.65 है0 कुल खसरा 3 कुल रकबा 1.34 है0 भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी द्वारा अपने पत्र क्रमांक भू. अ./2025/932 दिनांक 03.04.2025 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय/डिक्री का हिस्सा रहेगा। खर्चा पक्षकार वादी वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 7/5/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर, झुन्झुनू
सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमति सुप्रिया आर.ए.एस.

मुकदमा नं. नया 377/2024

निर्णय दिनांक :— 7/5/2025

उनवान
सुरेश बनाम उर्मिला वगैरह

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रम सिंह शेखावत की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक को सुप्रिया, सहायक कलक्टर, झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादी सिद्व होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्ण व डिक्री किया जाता है कि ग्राम जैतपुरा पटवार हल्का पोसाना भू0अ0नि0 रघुनाथुरा तहसील गुढा गौड़जी की सरहद में हाल भूमि खाता संख्या 259 पुराना 237 के खसरा नम्बर 58 रकबा 3.00 है0, खसरा नम्बर 63 रकबा 0.21 है0, ख.नं. 70/5 रकबा 0.05 है0, ख.नं. 89 रकबा 0.82 है0, ख.नं. 90 रकबा 0.82 है0, कुल किता खसरा 5 कुल रकबा 4.90 है0 भूमि अवस्थित है तथा भूमि खाता संख्या नया 133 पुराना 124 के ख.नं. 50 रकबा 0.67 है0, ख.नं. 70/3 रकबा 0.03 है0 व ख.नं. 86 रकबा 0.65 है0 कुल खसरा 3 कुल रकबा 1.34 है0 भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी द्वारा अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2025/932 दिनांक 03.04.2025 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय/डिक्री का हिस्सा रहेगा। खर्चा वादी वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 7/5/25 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा द्वारा मुर्तिब किया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर, झुन्झुनू
सहायक ... झुन्झुनू

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा	4 1	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनतनामा वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
योग	5	योग	

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर, झुन्झुनू
सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं